भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 768

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सर्पदंश के मामले

768. श्री आदित्य यादव:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्पदंश के मामलों और मौतों को एक अधिसूचनीय बीमारी के रूप में घोषित करने की कोई घोषणा की है जिससे सर्पदंश के संकट से पीड़ित हजारों कृषि कामगारों, जनजातीय समुदायों और उत्तर प्रदेश राज्य के दूर-दराज के गांवों के निवासियों को अत्यावश्यक राहत मिलने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। सर्पदंश के मामलों को घोषित करने और इसके कारण होने वाली मौतों को "संसूचित रोग" बनाने का दायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का है।

*****